महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या-/873/77-4-18-16एलसी / 18

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा / ग्रेटर नौएडा / गीडा / सीडा / लीडा / यमुना एक्सप्रेस-वे
प्राधिकरण / यूपीसीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2018

विषयः-"उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" के प्रस्तर-4.6 एवं प्रस्तर-2.1 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1269/77-4-18-16एलसी/18, दिनांक 17.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" के प्रस्तर- 4.6 एवं प्रस्तर-5.2 में उल्लिखित प्राविधानों को निर्धारित प्रकिया के अनुसार अपने प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. प्रश्नगत प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-68/ए.सी.आई.टी./2018 दिनांक 23.03.2018 एवं पत्र संख्या-1059/78-1-2018-87आईटी/2014 दिनांक 02.08.2018 छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 में भूमि के संबंध में 25 प्रतिशत की छूट संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा निवेशकों को भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों में सीधे छूट प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने बजट से सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को की जायेगी। अतः कृपया उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 में निवेशकों को भूमि के आवंटन पर विचार करते हुए छूट के सापेक्ष धनराशि की मांग आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को प्रेषित कर दें जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष 2018-19 के आय व्यय के बजट में प्राविधानित धनराशि से की जायेगी।

3. उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1269/77-4-18-16एलसी/18, दिनांक 17.07.2018 के प्रस्तर-3 में अंकित बिन्दु संख्या-5.2 एवं 5.2.1, जिसमें उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टॉर्ट-अप-नीति-2017 की भूमि हेतु प्राविधान त्रुटिवश अंकित है, के स्थान पर उक्त नीति में उल्लिखित भूमि हेतु प्रावधान प्रस्तर संख्या-2 एवं प्रस्तर संख्या-2.1 पढ़ा जाय।

3. शासनादेश संख्या-1269/77-4-18-16एलसी/18, दिनांक 17.07.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या–1873 (1) / 77–4–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या–68 / ए.सी.आई.टी. / 2018 दिनांक 23.03.2018 एवं पत्र संख्या–1059 / 78–1–2018–87आईटी / 2014 दिनांक 02.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।